प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

सुजाता रघुवंश*

अजय प्रकाश तिवारी**

मानव जीवन के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए। परंतु प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निवारण के बिना शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में नो-डिटेंशन पॉलिसी को शामिल किया गया। यह माना गया कि यह नीति विद्यार्थियों को असफ़लता तथा विषाद के अभिघात से बचाएगी तथा इससे प्राथमिक स्तर पर होने वाली अपव्यय, अवरोधन, शालात्याग जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। चूँकि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की इस नीति को सुचारूरूप से क्रियान्वित करने में एक अहम भूमिका है अत: इस शोधपत्र में नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि अधिकांश शिक्षक इस मत के हैं कि यह नीति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कुछ हद तक सफ़ल तो हुई पर इससे अनेकों-अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं हैं जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता का कम होना प्रमुख है

शिक्षा मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य न ही अपना विकास कर सकता है, न समाज का और न ही राष्ट्र का। इसीलिए प्रत्येक देश व काल में शिक्षा को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। वस्तुत: इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत स्वतन्त्र भारत के संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य व

* *प्रोफ़ेसर,* शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

** *रीडर,* शिक्षाशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

नि:शुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। संविधान के इस संकल्प को पूरा करने हेतु आवश्यक था कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए। परंतु अनेक सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकीकरण नहीं हो सका तथा प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न समस्याएँ बनीं रहीं।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु भारतीय शिक्षाविदों तथा राजनीतिज्ञों के भगीरथ प्रयास से 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित हो गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक प्रावधान निर्धारित किए गए, जिसमें से नो-डिटेंशन पॉलिसी प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ के रुप में सामने आई।

नो-डिटेंशन पॉलिसी

जैसा की हम सब को विदित है कि अपव्यय एवं अवरोधन तथा शाला-त्याग आदि प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएँ रहीं हैं। अकसर वे बच्चे जो निर्धन या सामाजिक रुप से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण एक ही कक्षा में कई बार अनुउत्तीर्ण हो जाते हैं। इससे उनके ऊपर सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और वे शालात्याग कर देते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही नो-डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में रखा गया। इस नीति के तहत किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी होने से पूर्व न विद्यालय से निकाला जा सकता है और न ही उन्हें एक मानक (Standard) में एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक रोका जा सकता है। ये माना गया कि यह नीति विद्यार्थियों को असफ़लता तथा विषाद के अभिघात से बचाएगी और वे परीक्षा के दबाव से मुक्त होकर अपना अधिकतम विकास कर पाएँगे। सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव के कम होने से विद्यार्थी शालात्याग कम करेंगे जिससे साक्षरता दर में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। इस नीति से सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर भी प्राप्त होंगे।

निश्चित तौर पर नो-डिटेंशन पॉलिसी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकीकरण की दिशा में कुछ महती उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत हुई थी परंतु संचार के माध्यमों से तथा अन्य अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों से यह परिलक्षित हो रहा है कि यह नीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफ़ल नहीं हुई है तथा इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। अनेक शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस नीति पर पुनर्विचार करने की माँग की है।

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति दृष्टिकोण को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। चूँकि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की इस नीति को सुचारूरूप से क्रियान्वित करने में एक अहम भूमिका है, अत: इस संदर्भ में उनका दृष्टिकोण ज्ञात करना आवश्यक है।

उद्देश्य

नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

परिकल्पना

नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में शिक्षकों की प्रतिक्रिया विभिन्न प्रतिक्रिया वर्गों में समान रुप से वितरित है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या के रूप में इलाहाबाद जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक हैं। न्यादर्श के रूप में 100 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। शिक्षकों का दृष्टिकोण जानने हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु काई वर्ग परीक्षण तथा प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

सारिणी-1

नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

क्र. सं.	कथन	प्रतिशत			x^2 का परिगणित मान
		सहमत	अनिश्चित	असहमत	
1.	नो-डिटेंशन पॉलिसी संविधान की मूल भावना के अनुरूप है।	56	06	38	31.45
2.	इस नीति के लागू होने से सभी बालक/ बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे।	57	05	38	3182
3.	इससे प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या में कमी आई है।	78	02	20	96.22
4.	इस नीति के कारण विद्यार्थियों के शाला-त्याग करने में कमी आई है।	89	01	10	127.46
5.	इस नीति के लागू होने से साक्षरता दर बढ़ेगी।	80	02	18	104.86
6.	नो-डिटेंशन पॉलिसी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रुप से प्रभावित हो रही है।	90	02	08	128.02
7.	इस नीति के लागू होने से शिक्षा की नींव कमज़ोर हो जाएगी।	85	01	14	125.79
8.	इस नीति से परीक्षा का महत्व कम हो गया है।	88	01	11	126.03
9.	इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है।	69	04	27	66.11
10.	इस नीति के कारण विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने पर कम ध्यान दे रहे हैं।	86	04	10	126.01
11.	सभी विद्यार्थियों का कक्षा-1 से कक्षा-8 तक बिना रोके कक्षोन्नति करने से उन्हें अपनी कमियों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है।	78	05	17	95.39

12.	ऐसा होने से विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में अध्ययन में मुश्किलें आएँगी।	86	03	11	126.09
13.	इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों के ऊपर से परीक्षा का दबाव घटा है।	85	02	13	126.94
14.	इस नीति के कारण विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दबाव से मुक्त हुए हैं।	76	05	19	84.87
15.	इस नीति के कारण बालकों/बालिकाओं का अधिकतम विकास संभव होगा।	32	03	65	61.94
16.	इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा में कमी आई है।	82	01	17	107.70
17.	इसमें विद्यार्थियों में शैक्षिक प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो रही है।	67	04	29	60.38
18.	इस नीति से मेधावी विद्यार्थियों में कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है।	83	05	12	111.75
19.	इस नीति के कारण अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन हुए हैं।	78	02	20	49.11
20.	इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थित घटी है।	69	01	30	65.80
21.	इस नीति के लागू होने से विद्यार्थी अध्यापकों का सम्मान कम करने लगे हैं।	68	03	29	64.74
22.	इस नीति के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ी है।	79	01	18	96.22
23.	इससे शिक्षकों को कक्षा नियंत्रण में कठिनाई आ रही है।	66	04	30	60.38
24.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन होता है।	12	62	26	33.36

N=100

0.01 स्तर पर 9.210

विश्लेषण एवं व्याख्या

नो-डिटेंशन नीति के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण के अध्ययन हेतु 24 कथनों पर x^2 परीक्षण लगाया गया, जिससे सभी कथनों में x^2 का मान सार्थक आया। अत: यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ विभिन्न वर्गों में समान रुप से वितरित नहीं हैं।

अलग-अलग कथनों पर शिक्षकों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं यह देखने के लिए प्रतिशत विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, जिसे सारणी-1 में दर्शाया गया है।

- सारणी-1 से यह स्पष्ट हो रहा है कि कथन सं. 1 तथा कथन सं. 2 से 56% व 57% शिक्षक सहमत तथा 38% व 33% असहमत हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि अधिक शिक्षकों का यह मानना है कि नो-डिटेंशन पॉलसी संविधान की मूल भावना के अनुरूप है और इससे सभी बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- पुन: सारणी-1 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 3 व कथन सं. 4 से 78% व 89% शिक्षक सहमत हैं तथा 20% व 10% शिक्षक असहमत हैं अर्थात अधिकांश शिक्षकों का यह मत है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन में कमी आई है और विद्यार्थियों के शालात्याग करने का प्रतिशत भी घटा है।
- सारणी-1 के अनुसार कथन सं. 5 80% शिक्षकों की सहमति तथा 18% असहमति यह दर्शाती है कि अधिकतर शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के लागू होने से साक्षरता दर में वृद्धि होगी। वहीं कथन सं. 6 तथा कथन सं. 7 में 90% तथा 85% शिक्षकों की सहमति व 8% तथा 14% असहमति बताती है कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है जिससे भविष्य में शिक्षा की नींव भी कमज़ोर हो जाएगी। केंद्रीय एडवाइज़री बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन (CABE) के द्वारा हरियाणा शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के नेतृत्व में गठित उपसमिति ने 20 राज्यों के प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह पाया कि नो-डिटेंशन पॉलिसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफ़ल रही है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अलका दत्त ने भी अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने सुझाव में कहा कि क्योंकि कक्षा 5 से कक्षा 7 तक के, शैक्षणिक वर्ष 2011-12 व 2013-14 के परिणामों से यह परिलक्षित हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है इसलिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को कक्षा 3 तक ही सीमित कर दिया जाना चाहिए।
- सारणी-1 को देखने से ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 8, 9 व 10 पर क्रमश: 88%, 69% व 86% शिक्षकों की सहमति है तथा 11%, 27% व 10% शिक्षकों ने अपनी असहमति दर्ज़ की है। इन परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति ने परीक्षा के महत्व को कम किया है।

जिससे बालक/बालिकाओं की पढ़ने की प्रवृत्ति भी घटी है और विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई करने पर कम ध्यान देने लगे हैं। प्रो. अस्फ़ा एम. यासिन ने भी अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 99% शिक्षक यह मानते हैं कि परीक्षा का भय समाप्त हो जाने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गए हैं।

- सारणी-1 से यह प्रदर्शित हो रहा है कि कथन सं. 11 व कथन सं. 12 पर 78% तथा 86% शिक्षकों ने अपनी सहमति तथा 17% व 11% ने अपनी असहमति व्यक्त की है। अर्थात अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि सभी विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देने से उन्हें अपनी कमियाँ ज्ञात नहीं हो पा रहीं हैं जिसके कारण उनको आगे अध्ययन में मुश्किलें आएँगी।
- सारणी-1 से यह स्पष्ट रुप से दृष्टिगाचर हो रहा है कि कथन सं. 13 तथा कथन सं. 14 से 85% व 76% शिक्षकों की सहमति तथा 13% व 19% असहमति यह दर्शाती है कि नो-डिटेंशन पॉलिसी के कारण विद्यार्थियों के ऊपर से परीक्षा का दबाव समाप्त हुआ है। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के अन्य मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दबावों से मुक्त हुए हैं। अलका दत्त ने भी अपने अध्ययन में यही पाया है कि अधिकांश शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के कारण विद्यार्थियों में तनाव घटा है।
- सारणी-1 को देखने से यह ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 15 पर 65% शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के द्वारा विद्यार्थियों का अधिकतम विकास संभव नहीं हो पाएगा। जबकि 32% शिक्षक इस तथ्य से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि इस नीति के द्वारा विद्यार्थियों का अधिकतम विकास संभव है।
- सारणी-1 से ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 16 से 82% शिक्षक सहमत तथा 17% शिक्षक असहमत हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि अधिकांश शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा में कमी आई है।
- सारणी-1 से स्पष्ट है कि कथन सं. 17 व कथन सं. 18 से 67% तथा 83% शिक्षक सहमत हैं व 29% तथा 12% शिक्षक असहमत हैं। इन परिणामों को आधार मान कर कहा जा सकता है कि अधिकतर शिक्षक यह मानते हैं क इस नीति से विद्यार्थियों में शैक्षिक प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो रही है और मेधावी विद्यार्थियों में कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है।
- सारणी-1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि कथन सं. 19 में 78% शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के लागू होने से अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावक उदासीन हो गए हैं जबकि 20% अध्यापक यह मानते हैं कि विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का सहयोग प्राप्त है।
- सारणी-1 से परिलक्षित होता है कि कथन सं. 20 में 69% शिक्षक यह मानते हैं कि नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू होने से कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति घटी है, तथा 30% शिक्षक इस से

सहमत नहीं हैं। प्रो. अस्फ़ा एम. यासिन ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इस नीति के लागू होने से कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हुई है।

- सारणी-1 को देखने से ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 21 से 68% शिक्षक सहमत हैं तथा 29% शिक्षक असहमत हैं। अत: यह इस बात को इंगित करता है कि अधिकतर शिक्षक यह मानते हैं कि इस नीति के प्रारंभ होने के कारण विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान कम करने लगे हैं। अलका दत्त ने अपने अध्ययन में पाया कि 89% अध्यापक इस बात से सहमत हैं।

सारणी-1 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि कथन सं. 22 से 79% शिक्षक सहमत तथा 18% शिक्षक असहमत हैं। अत: स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ज़्यादातर शिक्षक यह मान रहे हैं कि इस नीति के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ी है।

सारणी-1 में दिए गए परिणामों के आधार पर कथन सं. 23 से 66% शिक्षक सहमत तथा 30% शिक्षक असहमत हैं। इससे स्पष्ट है कि ज़्यादातर अध्यापक कक्षा को नियन्त्रित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अलका दत्त ने अपने अध्ययन में पाया कि 89% अध्यापकों को कक्षा नियंत्रण में समस्या आ रही है।

सारणी-1 के परिणामों से स्पष्ट है कि कथन सं. 24 से 12% शिक्षक सहमत व 26% शिक्षक असहमत हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि बहुत कम संख्या में शिक्षक यह मानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि 62% शिक्षकों ने इस कथन के प्रति अनिश्चितता जताई है शायद वे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से अनभिज्ञ हैं।

निष्कर्ष

नो-डिटेंशन पॉलिसी के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानने के पश्चात निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-

प्राथमिक स्तर के अधिकांश शिक्षकों का यह मानना है कि नो-डिटेंशन पॉलिसी से प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय, अवरोधन तथा शालात्याग आदि समस्याओं में कमी आई है तथा इससे साक्षरता की दर में वृद्धि हुई है और सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थी परीक्षा के दबाव तथा सामाजिक व मनौवैज्ञानिक दबावों से भी मुक्त हुए हैं। परंतु इससे अपेक्षित लक्ष्य कि भय मुक्त वातावरण में उनका अधिकतम विकास होगा, पूरा नहीं हुआ है। विद्यार्थी कक्षा में अनुउत्तीर्ण होने का भय न होने के कारण पढ़ाई में कम ध्यान दे रहे हैं। जिससे बालकों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है और इससे शिक्षा की नींव भी कमज़ोर हो रही है। विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर का ज्ञान न होने के कारण उनको आगे की पढ़ाई में मुश्किलें भी आएँगी। अधिकतर अध्यापकों का यह भी मानना है कि परीक्षा का महत्व कम होने से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना कम हुई है तथा मेधावी छात्रों में कुसमायोजन की भावना उत्पन्न हो रही है।

अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि परीक्षा का भय न होने से कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हुई है तथा उनमें अनुशासनहीनता बढ़ी है। वे शिक्षकों का सम्मान कम करने लगे हैं जिससे शिक्षकों को कक्षा नियंत्रण में दिक्कते आ रही हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति उदासीन दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत कम शिक्षक यह मानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन संभव है। अधिकतर इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।

निष्कर्षों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि नो-डिटेंशन पॉलिसी से लाभ कम तथा हानि अधिक हो रही है। परंतु अगर हम गहराई से देखें तो कमी नो-डिटेंशन पॉलिसी के उद्देश्यों में नहीं बल्कि इसके उचित ढंग से क्रियान्वित न हो पाने के कारण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन न करने और निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण को क्रियान्वित न करने के कारण ही विद्यार्थियों को प्रवीणता के किसी भी स्तर को सुनिश्चित किए बिना कक्षोन्नति दी जाती है। (मुखर्जी 2012) के अध्ययन के निष्कर्ष भी इस बात का समर्थन करते हैं। इस नीति की सफ़लता के लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों में इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जाए तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए।

इस नीति के सुचारू रूप से लागू होने से कई प्रकार के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे वे बच्चे जो अवरोधन के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, वे अब कक्षा 8 तक की योग्यता वाले रोज़गार को प्राप्त कर सकेंगे या किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर किसी तकनीकी कौशल को विकसित कर सकेंगे। इसलिए अन्तत: यह कहा जा सकता है कि इस नीति को समाप्त करने के बजाए आवश्यकता है कि इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए।

संदर्भ

असर. 2006. *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया,* मुंबई

एन.सी.ई.आर.टी. 1991. *मिनिमम लेवल ऑफ़ लर्निंग ऐट प्राइमरी स्टेज,* कमेटी सेट अप बाई एम.एच.आर.डी. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली

खन्ना, ए. और मिश्र पी.के. 2013. *इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़ इन इंपलीमेन्टेशन ऑफ़ आर.टी.ई. एक्ट 2009,* प्रोसीडिंग्स ऑफ़ नेशनल सेमीनार, सीमैट, यू.पी.

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, *क्वालिटी इश्यूज़ इन ऐलिमेंट्री एजुकेशन,* सर्व शिक्षा अभियान, एच.आर.डी., नयी दिल्ली

गुप्ता, एस.पी. 1996. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ*, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन

जोशी, ओ.पी. 2011. *भारत में शिक्षा का मूल अधिकार*, जयपुर, कल्पना पब्लिकेशन

दत्त, अल्का, *परसेप्शन ऑफ़ टीचर्स टुवार्ड्स नो-डिटेंशन पॉलिसी, स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फ़ॉर इंटर डिसप्लीनरी स्टडीज़,* वॉल्यूम 11/X, जन-फ़ेब, 2014

पाण्डेय, आर.एस. एवं मिश्र क.श. 2000. *भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ*, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर

याशिन, अस्फ़ा, एम. *क्वालिटी इन एजुकेशन वर्सस नो-डिटेंशन पॉलिसी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ रिसर्च,* वोल्यूम 2, इश्यू 3, पी.पी. (27-30), जुलाई-सेप्टेंबर, 2014

लाल, रमन बिहारी. 2003. *भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएँ*, मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन

सक्सेना, आलोक. 2009. *बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम*, पुस्तक सदन प्रकाशन, इलाहाबाद

http://ssa.nic.in/quality-of-education/AdobeReader.desktop/view